

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

महिलाओं एवं बालिकाओं पर लिंग आधारित हिंसा विषय पर पुलिस अधिकारियों एवं बाल कल्याण समिति के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण

दिनांक 21 जून 2017

प्रशिक्षण रिपोर्ट

राजस्थान पुलिस अकादमी द्वारा सेव द् चिल्ड्रन, राजस्थान जयपुर के सहयोग से दिनांक 21 जून 2017 को पुलिस अधिकारियों एवं बाल कल्याण समिति के पदाधिकारियों का महिलाओं एवं बालिकाओं पर लिंग आधारित हिंसा पर अकादमी में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य बताते हुए धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर ने कहा कि इस प्रशिक्षण के द्वारा पुलिस अधिकारियों व बाल कल्याण समिति के पदाधिकारियों को बालिकाओं एवं महिलाओं पर लैंगिक हिंसा के विरुद्ध जागरूक एवं संवेदनशील बनाना है, ताकि पुलिस अधिकारी थाने पर आने वाली महिलाओं के प्रति संवेदनशील व्यवहार कर गुणवत्तापूर्ण कार्यवाहियां कर उन्हें न्याय दिला सके। बाल कल्याण समिति के पदाधिकारियों इस प्रशिक्षण के बाद पुलिस के साथ मिलकर पीडित बालिकाओं एवं महिलाओं को परामर्श एवं पुनर्वास के लिए बेहतर सेवाएं देने के लिए उत्प्रेरित हो सकेंगे।



श्री रमाकान्त सतपथी, सहायक प्रबन्धक सेव द् चिल्ड्रन, जयपुर ने जेण्डर अवधारणा पर अपनी बात रखी। उन्होंने जेण्डर एवं लिंगभेद, महिलाओं एवं पुरुषों के प्रति सामाजिक नजरिया एवं लैंगिक भेदभाव व्यवहारों के सामाजिकीकरण की प्रक्रियाओं एवं पितृसत्तात्मकता एवं इसके महिलाओं के जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे विस्तृत चर्चा की। जेण्डर आधारित समानता से लिंग सम्बन्धी भेदभाव समाप्त होते हैं एवं स्त्री एवं पुरुषों में सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में आपसी सम्मान और सकारात्मकता को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने महिलाओं की उन परिस्थितियों के बारे में बताया जिनमें जेण्डर सम्बन्धी के सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक भेद प्रायः नजर आते हैं। इस जेण्डर समानता आधारित कार्यप्रणाली में महिलाओं एवं पुरुषों को विकास एवं सेवाओं के समान अवसर उपलब्ध हो।

सुश्री जसविन्दर कौर, सेव द् चिल्ड्रन, जयपुर ने महिलाओं की वर्तमान सामाजिक स्थितियों एवं जेण्डर भेद के परिणाम स्वरूप होने वाली लैंगिक हिंसा के विभिन्न रूप कन्या भ्रूण हत्या, पोषण में भेदभाव एवं बाल विवाह के बारे में जानकारी दी। उन्होंने महिलाओं के लिए पारम्परिक रूढिगत धारणाओं को बढावा देने में व्यक्तियों का नजरिया, पाबन्दियां, रीति रिवाज, भाषा एवं मीडिया की भूमिकाएं बतायी एवं शिक्षा को बढावा देकर इसे कम किये जाने की बात कही।

डॉ. सुमन राव, एपीपी, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर ने सत्र को सम्बोधित कर सुरक्षा में महिलाओं के लिए भारतीय दण्ड संहिता में वर्णित प्रावधानों एवं लैंगिक अपराधो से बालकों की सुरक्षा पर जानकारी दी। उन्होंने बाल कल्याण समिति की शक्तियों, कानूनी प्रावधानों एवं पुलिस के साथ आपसी उत्तरदायित्वों के बारे में बताया एवं पुलिस को प्राथमिक सूचना रिपोर्ट की प्रति तुरन्त उपलब्ध कराने के लिए कहा।

धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर ने पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 पर सम्बोधित किया। उन्होंने भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंग अनुपात को चिन्ता का विषय बताते हुए अधिनियम में पुलिस अधिकारियों की भूमिकाओं पर जानकारीयां प्रदान की।



समापन सत्र के मुख्य अतिथि श्री राजेश कुमार शर्मा, उप निदेशक एवं प्राचार्य, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर ने सम्बोधित करते हुए कहा कि पीडित बालिकाओं एवं महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए एवं पीडितो को थाने पर विश्वास एवं सुरक्षा का वातावरण दे। उसके बारे में कोई पूर्व धारणाए नहीं रखे तथा विधिक कार्यवाहियां करे। उप निदेशक एवं प्राचार्य द्वारा कोर्स में सम्मिलित पुलिस अधिकारियों को सहभागिता प्रमाण-पत्र वितरित किये गये।

कार्यक्रम के अन्तः में श्री दिलीप सैनी, सहायक निदेशक, सी.ओ.ई. एवं स्पेशल कोर्स, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर ने मुख्य अतिथि महोदय एवं सहभागी पुलिस अधिकारियों एवं बाल कल्याण समिति के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। प्रशिक्षण में 47 अधिकारी सम्मिलित हुए।